न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 68/2019 G.C.M.S. No. 2019/00300 दर्ज दिनांक : 05.07.2019

अपीलार्थिगण:

1. बादर पुत्र मल्लासिंह उर्फ मल्लजी, उम्र वयस्क
2. उगमा पुत्र जगाजी उर्फ जगसिंह, उम्र वयस्क, जातियान रावत, निवासीगण भुंबलिया रामपुरा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दाना पुत्र मोती, वयस्क
2. माना पुत्र मोती, वयस्क, जातियान रावत, निवासीगण भुंबलिया रामपुरा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 बअनवान दाना वगैरह बनाम बादर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.03.2019 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पेरोकार–

1. श्री श्याम पंचारिया, श्री राधाकिशन चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सूरजप्रकाश व्यास, श्री प्रकाश वर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 19.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 बअनवान दाना वगैरह बनाम बादर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया, जिसके साथ एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर सरहद मौजा रामपुरा पटवार हल्का भुम्बलिया तहसील जैतारण में खसरा नंबर 421 रकबा 14–16 बीघा, खसरा नंबर 504 रकबा 5–03 बीघा, खसरा नंबर 509 रकबा 5–14 बीघा, खसरा नंबर 535 रकबा 10–05 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 35–18 बीघा भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। वादग्रस्त जैर अपील में वर्णित कृषि भूमि पर अपीलांट का वक्त सेटलमेंट के पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से कब्जा काश्त कायम आज दिनांक तक है। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.04.2019 को वाद वास्ते घोषणा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर होकर पेशी दिनांक 23.04.2019 के सम्मन बनाम कायमी तनकीयात नोटिस जारी किये, जिसमें रेस्पोंडेंट की तामिल हो चुकी थीं। उक्त वाद संख्या 73/19 एवं उसके साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र उगमा बनाम दाना 53/19 की जानकारी होते हुए उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट की ओर से नया वाद संख्या 55/19 दिनांक 07.03.2019 को पेश किया एवं उसमें स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया। अपीलाधीन वाद 55/19 व उसमें पारित स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 38/19 से पूर्व अपीलांट का वाद खातेदारी घोषणा का बंटवाडा का व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन था। उसके विचारण रहते दूसरा वाद पोषणीय नहीं था, लेकिन रेस्पोंडेंट ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया। जो आदेश प्रक्रिया संहिता की 39 नियम 3 की पालना किये बिना प्राप्त किया। अपीलांट खसरा नं. 421 की रकबा 5 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। जिस पर कब्जे के सबूत अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये। उक्त भूमि पर यानि सम्पूर्ण रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर आदेश पारित कर दिया जो आदेश अस्पष्ट रहने से एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध पारित होने से अपीलांट को प्रत्यक्ष क्षति हुई हैं तथा स्थगन आदेश मौके की सम्पूर्ण भूमि पर यथास्थिति बाबत् होने से एवं गैरसायल के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् होने से अपीलांट पूर्ण रूप से पीड़ित व प्रभावित है जो अपने हिस्सा विशेष की भूमि पर काश्त करने से वंचित हो रहे हैं तथा अपीलांट के मौके पर कब्जा हटाने की एवं मौके पर बने मन्दिर तोड़ने की धमकी रेस्पोडेंट द्वारा दी गई। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को जैर अपील आदेश की व वाद की जानकारी दिनांक 01.07.2019 को तहसील के सवार से न्यायालय के सम्मन नोटिस आने पर जानकारी हुई। तत्पश्चात जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध होने से एवं विधिक प्रावधानों की प्रकिया के विरूद्ध पारित होने से उसे तत्काल दुरूस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कोई न्यायसंगत आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं करने पर उक्त आदेश की नकलें दिनांक 02.07.2019 को तत्काल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2019 को पारित अंतरिम अस्थाई व्यादेश के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 05.07.2019 को विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं तथा विलंब के कारण के रूप में अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की प्रतिलिपि दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त होना अंकित किया है। जो प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 08.03.2019 को अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। जो अपीलाधीन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा चुका है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नियत है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित नहीं किया है तथा जब तक विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित नहीं कर दिया जाता है, तब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्रों को गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। अतः हमारे विनम्र मत में इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।
3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें तथा उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 28.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner